संख्या- 225 / 2023 / 2090 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2023**

विषयः- उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में कार्यालय के भूतल कक्षों की दीवारों की मरम्मत, पेंटिंग, फर्नीचर, पैनल बोर्ड एवं एल0ई0डी0 ट्यूब लाइट के क्रय, मरम्मत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 262-A-नौ-8/2023-24, दिनांक 23 जून, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में कार्यालय के भूतल कक्षों की दीवारों की मरम्मत, पेंटिंग कार्य कराये जाने हेतु रू0 4,18,900.00 (रू0 चार लाख अट्ठारह हजार नौ सौ मात्र), फर्नीचर कुर्सियों की मरम्मत कार्य हेतु रू0 2,06,540.00 (रू0 दो लाख छः हजार पांच सौ चालीस मात्र), प्रदर्शनी हेतु 20 अदद पैनल बोर्ड क्रय किये जाने हेतु रू0 1,34,000.00 (रू0 एक लाख चौतीस हजार मात्र) एवं 200 अदद एल0ई0डी0 ट्यूब लाइट के क्रय हेतु रू0 46,000.00 (रू0 छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में कार्यालय के भूतल कक्षों की दीवारों की मरम्मत, पेंटिंग कार्य, फर्नीचर कुर्सियों की मरम्मत कार्य तथा प्रदर्शनी हेतु 20 अदद पैनल बोर्ड का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(4) संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ का होगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति रू0 4,18,900.00 (रू0 चार लाख अट्ठारह हजार नौ सौ मात्र) से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति - 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख- 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4.00 लाख के अन्तर्गत किया जायेगा। अवशेष धनराशि रू0 18,900.00 का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति - 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख- 42- अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

फर्नीचर कुर्सियों की मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत रू0 2,06,540.00 (रू0 दो लाख छः हजार पांच सौ चालीस मात्र) से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख- 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में उपलब्ध धनराशि रू0 1,73,000.00 के अन्तर्गत किया जायेगा। अवशेष धनराशि रू0 33,540.00 का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -104- अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख -42- अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,34,000.00 (रू0 एक लाख चौतीस हजार मात्र) से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति - 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख- 42- अन्य व्यय मद से तथा स्वीकृत धनराशि रू0 46,000.00 (रू0 छियालिस हजार मात्र) से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति - 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख- 08- कार्यालय व्यय मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 225 /2023 / 2090 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।